3 42

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2024
(उत्तराखण्ड विधेयक संख्याः ....., वर्ष– 2024)

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2008, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) तथा उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

(2) यह 01 अप्रैल 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2008 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्याः 06, वर्ष– 2008)

धारा 3 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2008 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (1) में **"तीस हजार"** शब्दों के स्थान पर **"पचास हजार"** शब्द रख दिये जायेंगें।

धारा 4क का संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा 4क में **"बारह हजार"** शब्दों के स्थान पर **"बीस हजार"** शब्द रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन 4. मूल अधिनियम की धारा 5 में –

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी:–

"(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभा के प्रत्येक सदस्य को, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या नहीं प्रतिवर्ष चार लाख रूपये के रेलवे कूपन के बराबर की धनराशि में से चालीस हजार रूपये के रेलवे कूपन तथा तीस हजार रूपये प्रतिमाह की सीमा तक डीजल/पैट्रोल व्यय हेतु विहित रीति से नकद दिए जायेंगे, जो ऐसे सदस्य द्वारा अपने लिए और अपने परिवार के सदस्य के लिए किसी रेल से, किसी श्रेणी में उपयोग में लाये जा सकते हैं।"

(ख) उपधारा (2) में –

(एक) **"दो लाख बहत्तर हजार"** शब्दों के स्थान पर **"तीन लाख"** शब्द रख दिये जायेंगे।

(दो) **"बहत्तर हजार रूपये"** शब्दों के स्थान पर **"बाईस हजार पांच सौ रूपये प्रतिमाह"** शब्द रख दिये जायेंगे।

(तीन) **"अट्ठाईस हजार"** शब्दों के स्थान पर **"तीस हजार"** शब्द रख दिये जायेंगे।

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

343

धारा 11का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) में "**तीन हजार**" शब्दों के स्थान पर "**छः हजार**" शब्द रख दिये जायेंगे।

धारा 12 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 12 में "**बारह हजार**" शब्दों के स्थान पर "**बीस हजार**" शब्द रख दिये जायेंगे।

नई धारा 12क का अन्तःस्थापन

7. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

परिचारक भत्ता

"12क. सभा का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, जिसमें नेता विरोधी दल भी सम्मिलित है, अपनी सदस्यता की अवधि में या यथास्थिति, अपने सम्पूर्ण कार्यकाल में, जिसमें वह ऐसे पद पर आसीन है, पन्द्रह हजार रूपये प्रतिमास की दर से परिचारक भत्ता पाने का हकदार होगा।"

धारा 15 का संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

15. "राज्य सरकार, सभा के प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, जिसमें नेता विरोधी दल भी सम्मिलित है, को किसी भी प्रयोजन हेतु जी.पी.एफ की लागू ब्याज दरों पर रूपया पच्चीस लाख का अग्रिम ऋण स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था कर सकती है:

परन्तु यह कि अग्रिम ऋण की धनराशि दस वर्ष की समान मासिक किश्तों पर वापस प्राप्त कर ली जायेगी।"

धारा 17 का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:–

17. "सभा का प्रत्येक सदस्य या पूर्व सदस्य चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो या न हो, की स्वयं तथा परिवार के सदस्यों की विदेश में चिकित्सा कराये जाने की सुविधा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के द्वारा निर्दिष्ट किये जाने पर अनुमन्य होगी एवं सदस्यों हेतु उत्तराखण्ड राज्य कार्मिकों हेतु लागू कैश लेस उपचार (गोल्डन कार्ड) की सुविधा लागू होगी और इसमें प्रदेश के बड़े चिकित्सालय तथा दिल्ली के फोर्टिस एवं राजीव गांधी कैंसर इंस्टिट्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टर, एम्स, दिल्ली सम्मिलित होंगे अथवा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।"

धारा 20 का संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 20 में, प्रथम परन्तुक में "**दो हजार**" शब्दों के स्थान पर "**दो हजार पांच सौ**" शब्द रख दिये जायेंगे।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

3444

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त)

धारा 2 का संशोधन

11. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 2 की उपधारा (1) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मासिक वेतन में "**एक लाख दस हजार**" शब्दों के स्थान पर "**एक लाख पचास हजार**" शब्द रख दिये जायेंगे।

उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009

धारा 3 का संशोधन

12. उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009 की धारा 3 की उपधारा (1) में "**नब्बे हजार**" शब्दों के स्थान पर "**एक लाख बीस हजार**" शब्द रख दिये जायेंगे।

.....

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा

345

विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजित ज्ञापन

'उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2024' को विधान सभा में सदन के पटल पर पुरःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विधेयक में किसी विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

2— प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन मात्र निहित है।

प्रेम चंद अग्रवाल
मंत्री।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय

346

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध संशोधन विधेयक, 2024 का खण्डवार ज्ञापन

1. विधेयक के खण्ड एक में संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ का उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
2. विधेयक के खण्ड दो में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2008 की धारा–3 में संशोधन का उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
3. विधेयक के खण्ड तीन में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2008 की धारा–4 क में संशोधन का उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
4. विधेयक के खण्ड चार में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2008 की धारा–5 में संशोधन का उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
5. विधेयक के खण्ड पांच में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2008 की धारा–11 में संशोधन का उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
6. विधेयक के खण्ड छः में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2008 की धारा–12 में संशोधन का उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
7. विधेयक के खण्ड सात में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनिय, 2008 की धारा–12 क को अन्तःस्थापन का उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
8. विधेयक के खण्ड आठ में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2008 की धारा–15 में संशोधन का उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
9. विधेयक के खण्ड नौ में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2008 की धारा–17 में संशोधन का उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
10. विधेयक के खण्ड दस में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2008 की धारा–20 में संशोधन का उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
11. विधेयक के खण्ड ग्यारह में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 की धारा–2 में संशोधन का उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।
12. विधेयक के खण्ड बारह में उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन,भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009 की धारा–3 में संशोधन का उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(प्रेम चन्द अग्रवाल)
मंत्री ।